न्यायालय सहायक कलेक्टर ...

जिला भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी : श्री सी.एल.शर्मा आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :–21 / 2019
अन्तर्गत धारा :–136 एल आर एक्ट

उनवान प्रकरण

श्री मदनलाल पुत्र श्री मांगीलाल व्यास (ब्राहम्ण) निवासी नारायणखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
—— प्रार्थी

बनाम

1— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा, जिला भीलवाडा
2— पटवारी पटवारहल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा
—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
श्री दीपक तिवाड़ी – अधिवक्ता प्रार्थी
श्री ईश्वरचन्द पुरोहित पैरोकार सरकार विपक्षीगण

:: आदेश ::

दिनांक : 06—09—2019

1— प्रार्थी श्री मदन लाल व्यास ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 28—5—2019 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 4904 रकबा 0.30 हैक्टर आराजी के जरिये नामान्तकरण संख्या 3108 दिनांक 24—11—2016 से नया आराजी संख्या 4904 / 1 रकबा 0.0907 हैक्टर भूमि दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी के पुराने नम्बर 1778 मीन होकर किस्म काली मिट्टी दर्ज थी। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटीवश पेटा द्वितीय दर्ज कर दी है। जबकि मौके पर कोई तालाब, नाडी एवं पेटा नहीं है। अतः वास्तविक स्थिति की जॉच कराई जाकर पूर्व की स्थिति के अनुसार उक्त भूमि की किस्म काली मिट्टी दर्ज कराई जावें।

2— प्रकरण में कारण वाद पुरानी जमाबन्दी व नई जमाबन्दी की नकले प्राप्त करने से 9—5—19 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। उक्त प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर पेश होना एवं श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होना प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया।

3— प्रकरण को बाद जॉच पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण के वास्तविक तथ्यों के सत्यापन हेतू तहसीलदार से मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार सहाड़ा से प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट में भू अभिलेख निरीक्षक सहाड़ा एवं पटवारी ने अपनी जॉच में मौजूदा प्रार्थनापत्र में

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया एवं अपनी सयुक्त जॉच रिपोर्ट में अंकित किया कि ''मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी वर्तमान में समतल है तथा एन0एच0 758 के बराबर समतल है। जहॉ वर्तमान में पानी का भराव नही होता है। उक्त आराजी से सटी हुई आरजी नं0 4961 की किस्म बीड़ दर्ज रेकार्ड है। जिसके वर्तमान में टुकड़े होकर अलग– अलग दर्ज है।

4– तहसीलदार सहाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार मौका स्थिति के अनुसार आराजी संख्या 4904/1 रकबा 0.0907 है0 वर्तमान में एन0एच0 758 के बराबर समतल है तथा मौके पर पड़त है व कोई जल भराव नही होता है। साथ ही आराजी संख्या 4904/1 से सटी आराजी संख्या 4961 की किस्म बीड़ दर्ज रेकार्ड है जिसके वर्तमान में टुकड़े होकर अलग– अलग दर्ज है। मौका जॉच रिपोर्ट उपरान्त प्रार्थी पक्ष की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत दफा 151 जा0दी0 पेश हुआ। जिसमें प्रार्थी पक्ष द्वारा यह निवेदन किया गया कि उक्त आराजी की पुरानी किस्म काली मिट्टी दर्ज थी परन्तु राजस्व कर्मियों ने त्रुटीवश पेटा –द्वितीय दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि की पूर्व में किस्म काली मिट्टी से बनी हुई किस्म बीड़ दर्ज होनी चाहिए।

5– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों, दफा 151 जा0दी0 प्रार्थनापत्र, रेकार्ड पर मौजूदा अभिलेख एवं कमीशनर की मौका जॉच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद में प्रार्थी ने वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम सहाडा की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। जिसके वर्तमान खाता संख्या 832 मे दर्ज आराजी संख्या 4904 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि किस्म पेटा द्वितीय अंकित होकर उक्त भूमि में से जरिये नामान्तरण संख्या 3108 निर्णय दिनांक 24–11–2016 से प्रार्थी के नाम पर नये नम्बर 4904/1 रकबा 0.0907 हैक्टर भूमि दर्ज हुई है। गत बन्दोबस्त में आराजी संख्या 4904 क्षेत्रफल 0.30 है0 के साबिक नं0 1778 मीन रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा से बनना दर्ज है। उक्त भूमि की किस्म काली को परिवर्तित करके पेटा –द्वितीय अंकित करने के सम्बंध में किसी प्रकार की फर्द बनाई जाना अथवा उच्चाधिकारियो से आदेश प्राप्त कर किस्म परिवर्तन किये जाने के सम्बंध में कोई अभिलेख रेकार्ड पर नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का कोई खण्डन भी अभिलेख पर नहीं है। पैराकार सरकार एवं विपक्षीगण ने अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई जवाब एवं खण्डन पेश नहीं किया है तथा मौका रिपोर्ट को ही जवाब बताया है। उक्त भूमि की किस्म को अकारण ही पेटा द्वितीय अभिलिखित किये जाने से प्रार्थी को उक्त भूमि के विकास में अनेक तरह की असुविधाएं होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। लिहाजा उक्त प्रकरण में विवादित भूमि की किस्म काली मिट्टी को राजस्व/सेटलमेंट कार्मिकों द्वारा त्रुटीपूर्ण ढ़ग से परिवर्तित कर पेटा द्वितीय अंकित किये जाने के पीछे कोई न्यायोचित एवं विधि सम्मत आधार होना भी रेकार्ड पर जाहिर नहीं पाया गया। तहसीलदार से प्राप्त मौका कमीशनर रिपोर्ट में भी प्रार्थी के मौजूदा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बंध में कोई विरोधाभास नहीं पाया गया तथा मौके पर पड़त होने का उल्लेख है तथा सटी हुई आराजी

सहायक कलेक्टर

संख्या 4961 की किस्म बीड़ दर्ज हैं। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत त्रुटियों के शुद्धिकरण की श्रेणी का होना पाया जाता है। लिहाजा प्रार्थी का मौजूदा प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

::: आदेश :::

प्रार्थी का मौजूदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है। ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा की आराजी संख्या 4904/1 रकबा 0.0907 हैक्टर की भूमि की किस्म पेटा द्वितीय के स्थान पर क काली मिट्टी/बीड़ दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे निर्देशन ने लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
गंगापुर

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)